न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2025 दायर दिनांकः 01.01.2025

उनवान

बृजनगर स्टोन्स एल.एल.पी. कम्पनी रजिस्टर्ड कार्यालय एफ–49, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया झालावाड़ जिला झालावाड़ द्वारा अधिकृत, प्रतिनिधि असलमान पुत्र शाहजहां खां जाति मुसलमान निवासी जयराज पार्क चौराहा झालावाड़ जिला झालावाड़ राज०

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सुनेल

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :–

अभिभाषक प्रार्थी – श्री बच्चूलाल एवं शहजादी गौरी

अप्रार्थी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 12.05.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि यह कि बृजनगर स्टोन्त एल. एल. पी. कम्पनी, कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनी है जिसका रजिस्टर्ड काय लिय एफ 49 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया झालावाड़ में है तथा प्रार्थी असलमवान कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए अधिकृत, प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि का पत्र पेश कर संलग्न है। यह कि प्रार्थी कम्पनी की आराजी खाता संख्या पुराना 87 व नया 73 में कुल खसरा नम्बर 7 कुल रकबा 8.0431 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इन कुल खसरा नम्बर में खसरा नम्बर 157 रकबा 0.8726 हेक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता व रकबा 0.8600 हेक्टेयर ... ग्राम रूपपुरा तहसील सुनेल में स्थित है। ग्राम रूपपुरा तहसील ... जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 तक की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि पेश कर संलग्न है। आराजी प्रार्थी के खाते कब्जे व काश्त की है। यह कि आ... पुराना खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 व नया खाता संख्या 1 खतरा नम्बर 9 रकबा 10.3195 हेक्टेयर किस्म बंजड दोयम वाके ग्राम रूपपुरा तहसील सुनेल प्रतिवादी के खाते कब्जे की है। प्रतिवादी के खाते की सम्वत 2073–2076 की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर संलग्न है। यह कि इसी प्रकार आराजी पुराना खाता संख्या 1 व नया खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 12 रकबा 4.2113 हेक्टेयर बंजड़ दोयम प्रतिवादी के खाते व कब्जे में ग्राम रूपपुरा तहसील सुनेल में स्थित है। नकल जमाबन्दी ग्राम रूपपुरा की जमाबन्दी की सत्य व प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर तंलग्न है। यह कि प्रार्थी को अपने खाते कब्जे व काश्त की उक्त आराजी खसरा नम्बर 157 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील पिड़ावा में आने जाने के लिए राज्य सरकार के रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। यह कि प्रार्थी को अपने खाते कब्जे व काश्त की आराजी खसरा नम्बर 157 में एक मात्र रास्ता प्रतिवादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 9 व 12 की पूर्वी मेड पर होकर है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 157 पर खसरा नम्बर 9 व 12 की पूर्वी मेड़ पर होकर ही आते जाते है अपने कृषि कार्य करने के सामान लाते ले जाते रहे है तथा कृषि कार्य के लिए खाद बीज व तैयार फसल ट्रेक्टर ट्राली से लाते ले जाते रहे है। इस रास्ते को यदि रोक दिया गया तो प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 157 पर कृषि कार्य करना मुशकिल ही नहीं असम्भव हो जावेगा तथा प्रार्थी की खसरा नम्बर 157 की आराजी व्यर्थ ही पड़ी रहेगी जिसका प्रार्थी अपने कृषि कार्य के लिए उपयोग व उपभोग नहीं कर सकेगा तथा अपने काश्तकारी अधिकार से वंचित हो जावेगा अपुरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति द्रव्य में असम्भव होगी। यह कि प्रार्थी का अपने खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए रास्ता उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 9 से 12 तक से उत्तर दक्षिण खसरा नम्बर 9 व 12 की पूर्वी मेड पर होता हुआ खसरा नम्बर 163 व खसरा नम्बर 12 की पूर्वी व दक्षिणी मेड तक जाता है जिसकी अनुमानित लम्बाई 1213 फीट है। इस प्रकार खसरा नम्बर 12 व 163 की अन्तिम छोर पर पहुंच कर पश्चिम से पूर्व सरकारी रास्ते से होकर प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 157 तक पहुंचता है। इस रास्ते से प्रार्थी पिछले अनेक वर्षों से अपने खाते व कब्जे की आराजी पर पहुंचते है। नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 9 व 12 तथा 157 की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.08.02 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कर संलग्न है। इसी प्रकार उक्त खसरा नम्बर की आराजी में प्रार्थी का अपने खाते की आराजी पर पहुंचने का नक्शा ट्रेस में पीले रंग से अंकन कर नजरी नक्शा भी पेश किया जा रहा है। यह कि प्रार्थी को अपने खाते कब्जे व काश्त की आराजी खसरा नम्बर 157 पर खसरा नम्बर 9 व 12 की पूर्वी मेड़ पर होते हुए उत्तर से दक्षिण तक 1213 फीट व लगभग 20 फीट चौड़ा रास्ता आने जाने अपने कृषि सामान लाने ले जाने व बीज व फसल खेती के लिए ट्रैक्टर ट्रोली लाने ले जाने के लिए आवश्यकता है। यह कि प्राथी द्वारा चाहा गया रास्ता प्राप्त होने पर बीरियाखेड़ी एवं रूपपुरा के खातेदारों को भी मार्ग उपलब्ध होगा तथा ग्राम रूपपुरा के खसरा नम्बर 9, 11, 10, 14, 18, 16, 17, 24, 25, 25, 27, 28 आदि नम्बरान के खातेदारों को भी पहुंच मार्ग उपलब्ध होगा। यह कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग उपलब्ध होने पर ग्राम रूपपुरा की निवासीयों को बोरियाखेड़ी का निकटतम मार्ग उपलब्ध होगा। यह कि प्रार्थी वर्तमान में अपने खाते की आराजी में कृषि कार्य कर रहा है। यदि भविष्य में अन्य कार्य जिसमे आराजी में खनन कार्य भी सम्भव हो सकता है करने पर गाँव के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा गाँव के निवासीयों की आर्थिक उन्नति सम्भव होगी इस कारण रास्ता दिया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। यह कि प्रार्थी सरकारी भूमि पर जितना लम्बा व चौड़ा रास्ता चाहता है उसका प्रतिवादी तहसीलदार साहब द्वारा क्षेत्रफल को जोड़ लिया जावेगा उसी के अनुसार चाहे गये रास्ते की कीमत प्रार्थी कानून व नियम के अनुसार राज्य सरकार में जमा करवाने के लिए तैयार है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी से रिपोर्ट व जवाब मंगवाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को राज्य सरकार के रेकार्ड मैं सरकारी रास्ता दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। अगर सरकारी भूमि में रास्ता दर्ज कर दिया गया तो प्रतिवादी को कोई आर्थिक व अन्य किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भी आर्थिक क्षति को पूरा करने के लिए प्रार्थी तैयार है। यह कि प्रतिवादी की आराजी जिस पर प्रार्थी रास्ता दर्ज करवाना चाहता है ग्राम रूपपुरा तहसील सुनेल में स्थित है अतः प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की अधिकारिता में पेश है। यह कि प्रार्थना पत्र पर्याप्त की कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी को अपने खाते, कब्जे व काश्त की आराजी खसरा नम्बर 157 पर प्रतिवादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 9 व 12 की पूर्वी मेड़ पर उत्तर से दक्षिण राज्य सरकार के रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाने के आदेश फरमाये। तदनुसार सरकारी रेकार्ड व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करने के आदेश फरमावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2025/156 दिनांक 03.03.2025 से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण के संबंध में चाही गई मौका एवं जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार बिन्दुवार निम्नानुसार है– 1. बिन्दु सं. 1 वादी स्वयं न्यायालय हाजा में सिद्ध करे। 2. ग्राम रूपपुरा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 की खाता सं. 73 के अनुसार सही है। 3. ग्राम रूपपुरा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 की खाता सं. 1 के अनुसार सही है। 4. ग्राम रूपपुरा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 की खाता सं. 1 के अनुसार सही है। 5. प्रार्थी की आराजी की पहुंच हेतु प्रचलित रास्ता खसरा नं. 21 रकबा 0.3858 है. किस्म बंजड दोयम खाता सरकार से ख.नं. 15 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0.4046 है. खाता सरकार, ख.नं. 12 किस्म बंजड दोयम रकबा 4.2113 हैक्ट. व ख.नं. 282/12 किस्म बारानी दोयम रकबा 0.5058 है. ख.नं. 285/12 किस्म बारानी दोयम खाता सुनिता पत्नि नरेश गुप्ता के खाते में दर्ज से होते हुए उपलब्ध है। 6. बिन्दु संख्या 5 के अनुसार प्रचलित रास्ता उपलब्ध है। 7. खसरा नं. 9 व 12 खाता सरकार दर्ज है वर्तमान में प्रार्थी द्वारा बताये गये स्थान की पूर्वी मेड पर किसी प्रकार का रास्ता बना हुआ नहीं है। 8. प्रार्थी बिन्दु सं. 5 में दिये गये रास्ते का उपयोग ना करके नाले के समीप ख.नं. 9 व 12 से होकर अपनी आराजी पर पहुंचना चाहता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है। (क) ख.नं. 9 किस्म बंजड़ दोयम रकबा 10.3195 है. खाता 1 (सरकार) में दर्ज है। जिसमें से चाहे गये रास्ते की लम्बाई 1207 फीट एवं चौडाई 17 फीट कुल 29019 वर्गफीट यानि 0.2655 है। (ख) ख.नं. 12 किस्म बंजड दोयम रकबा 4.2113 है. खाता नं. 1 (सरकार) में दर्ज है। चाहे गये रास्ते की जिसमें से चाहे गये रास्ते की लम्बाई 1196 फीट एवं चाडाई 17

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

फीट कुल 20332 वर्गफीट रकबा 0.1896 है. बनता है। अतः चाहे गये रास्ते का कुल रकबा 0.4551 हैक्ट बनता है। 9. बिन्दु संख्या 9 को वादी माननीय न्यायालय में स्वयं सिद्ध करें। 10. बिन्दु संख्या 10 हेतु वादी माननीय न्यायालय के समक्ष स्वयं साक्ष्य पेश करें। 11. माननीय न्यायालय से संबंधित है। 12. बिन्दु सं. 8 में पूर्ण विवरण दिया गया है शेष माननीय न्यायालय से संबंधित है। 13. माननीय न्यायालय से संबंधित है। 14. माननीय न्यायालय से संबंधित है। 15. माननीय न्यायालय से संबंधित है। अतः चाहा गया जबाव दावा श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है। संलग्न पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा।

3. प्रार्थी की ओर से ग्राम रूपपुरा का खाता सं. 1 व 73 की जमाबंदी सं. 2073–76 की नकल, नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा, Certified true copy of resolution passed on board meetung held on 15 feb 2024 की प्रति एवं राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की नजीर 2013 (1) डीएनजे (राज.) 368 चौमू सहकारी क्रय विक्रय समिति लिमि. बनाम जगदीश प्रसाद मीना व अन्य पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में गवाह असलम उर्फ अकवर खा पि. शाहजहां खां का शपथ पत्र पेश किया।

4. अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित विन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी को ग्राम रूपपुरा तहसील सुनेल स्थित अपनी कृषि आराजी खाता सं. 73 के ख.नं. 155, 157, 158, 159 तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौके पर भी कोई स्थाई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आस पास की भूमियों पर खातेदारो द्वारा बार बार पत्थर का मलवा डपिंग करते रहने से मौके पर पहूँच के लिए अस्थाई रूप से बनाये रास्ते प्रायः बदलते रहते है। इसलिए प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी पर पहूँच हेतु कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए समस्या आ रही है और उक्त भूमियों पर कृषि कार्य क[illegible] प्रार्थी की भूमि पडत रहने की संभावना है। अतः नया रा[illegible] प्रा[illegible] की नितान्त आंवश्यकता है। प्रार्थी की भूमि पर पहूँच हेतु ख.नं. 1[illegible] 196 में होकर लघुत्तम रास्ता होगा लेंकिन उक्त आराजी की किस्म [illegible]गाह होने एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

चरागाह भूमि में होकर रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं होने से प्रार्थी को अप्रार्थी की आराजी ख.नं. 9 की पूर्वी मेड से होकर ख.नं. 12 की पूर्वी मेड से होता हुआ प्रार्थी की आराजी ख.नं. 157 पर 20 फीट चौडा रास्ता दिया जावे। **राजस्व विभाग जयपुर द्वारा वर्ष 2013–14 में सिवायचक भूमि से होकर रास्ता दिये जाने के लिए सभी जिला कलक्टरर्स को आदेश जारी किये हुए है।** प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि का नियमानुसार वर्तमान डीएलसी दरो की दुगुनी राशि की क्षतिपूर्ति करने हेतु सहमत है।

5. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थी की भूमि तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी की भूमि के आस पास खनन क्षेत्र होने से लगातार मलवा डंपिंग किया जाता रहता है जिससे मौके पर बने अस्थाई रास्ते हर दो तीन महिने में बदलते रहते है। जहां होकर वैकल्पिक अस्थाई रास्ते बने हुए है वह दुर्गम व नदी नालो का क्षेत्र होने से बरसात के समय चार पांच माह जल भराव के कारण तक बंद रहते है। राजस्व विभाग (गुप–6) जयपुर द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र दिनांक 04.04.2025 में भी काश्तकारों के लिए रास्ता खोलो अभियान की मंशा भी काश्तकारों को कृषि आराजी पर पहूँच हेतु रास्ता उपलब्ध कराना है। अतः प्रार्थी की आराजी पर पहूँच हेतु रिकार्डेड व वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से डीएलसी की दुगुनी राशि से क्षतिपूर्ति राशि जमा कराये जाने पर प्रार्थी को नया रास्ता दिये जाने पर अप्रार्थी तहसीलदार सुनेल को कोई आपत्ति नहीं है।

6. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

(i) खातेदार टीनेन्ट – अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी कम्पनी राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट के रूप में दर्ज है । अपनी आराजी पर कृषि मजदूरों के सहयोग से फसल काश्त करते है और नियमानुसार भू.राजस्व का भुगतान करते आए है। [illegible] कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी चौमू सहकारी [illegible] विक्रय समिति लिमि. बनाम जगदीश प्रसाद मीना व अन्य 2013(1) डीएनजे (राज) 368

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मामले में **कम्पनी या सोसायटी को एक ज्यूडिस्टिक व्यक्ति माना गया है।** अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी बहस के दौरान प्रार्थी को खातेदार टीनेन्ट स्वीकार किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(43) के अनुसार एक टीनेन्ट वह व्यक्ति है जिसके द्वारा लगान संज्ञेय या किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के न होने पर लगान संदेय होता है। इस प्रकार लगान संदेय होना एक अभिधारी का मुख्य लक्षण है। लगान का संदाय करना एक कर्तव्य या बाध्यता है, जो एक संविदा द्वारा सृजित है, चाहे अभिव्यक्त (प्रत्यक्ष) हो या विवक्षित (अप्रत्यक्ष) हो। अतः उक्तानुसार प्रार्थी कम्पनी भी एक टीनेन्ट की परिभाषा में आती है।

(ii) <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– **बहस के दौरान उभयपक्ष इस तथ्य पर सहमत है कि प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है और रास्ते की आवश्यकता है।** प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम रूपपुरा के राजस्व रिकार्ड/राजस्व नक्शा एवं पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार भी प्रार्थी की आराजी तक कोई रिकार्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी का कथन है कि उसकी आराजी तक पहूँच हेतु रिकार्डेड रास्ता व वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थी को फसल कश्त करने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए अनेको समस्या आ रही है। कई बार खेत पडत भी रह जाते है। यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा भी रास्ते की आवश्यकता को बहस के दौरान स्वीकार किया है। **अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।**

(iii) <u>वैकल्पिक रास्ता नहीं होना</u> – अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है। **अप्रार्थी पेराकार सरकार ने बहस के दौरान अपने जवाब दिनांक**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

03.03.2025 के बिन्दू सं. 5, 6 व 7 एवं जवाब दिनांक 07.02.2025 के बिन्दू सं. 2 से भिन्न कथन करते हुए स्वयं स्वीकार किया है कि प्रार्थी की भूमि के आस पास खनन क्षेत्र होने से लगातार मलवा डंपिंग किया जाता रहता है जिससे मौके पर बने अस्थाई रास्ते हर दो तीन महिने में बदलते रहते है। जहां होकर वैकल्पिक अस्थाई रास्ते बने हुए है। वह दुर्गम व नदी नालो का क्षेत्र होने से बरसात के समय चार पांच माह जल भराव के कारण तक बंद रहते है जिससे प्रार्थी अपने खेतो पर कृषि उपकरण नहीं ले जा सकता है। अतः उभयपक्ष की सहमति से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी तक पहूँच हेतु कोई स्थाई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

(iv) सबसे लघुतम रास्ता होनाः– पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की आराजी ख.नं. 157 व अन्य तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 9 व 12 से होकर होगा। समीपवर्ती ख.नं. 163/196 के चरागाह भूमि होने से धारा 251 ए के अधीन रास्ता दिया जाकर किस्म परिवर्तित नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.02.2025 के अनुसार प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु प्रस्तावित रास्ते की ख.नं. 9 में लमबाई 1707 फीट एवं ख.नं. 12 में लम्बाई 1196 फीट है।

प्रार्थी द्वारा 20 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है लेकिन कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए 15 फीट रास्ता ही पर्याप्त होता है। अतः प्रार्थी को 20 फीट की बजाय 15 फीट चौडा रास्ता दिया जाना ही न्यायोचित होगा।

(v) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः–प्रार्थी अपनी आराजी ख.नं. 157 व अन्य तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की आने वाली भूमि ख.नं. 9 में लमबाई 1707 फीट व चौडाई 15 फीट यानि 25605 वर्ग फीट अर्थात रकबा 0.2378 है. एवं ख.नं. 12 में लम्बाई 1196 फीट व चौडाई 15 फीट यानि 17940 वर्ग फीट अर्थात रकबा 0.1666 है. भूमि का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की ग्राम रूपारेल की आराजी ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

रकबा 0.8600 हेक्टेयर में बीड़ प्रथम व ग्राम

Scanned with OKEN Scanner

तक तक पहुंच हेतु 20 फीट चौडा नया रास्ते के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम रूपपुरा की आराजी ख.नं. 157 व अन्य तक पहुंच हेतु अप्रार्थी सरकार की आने वाली भूमि ख.नं. 9 में लम्बाई 1707 फीट व चौडाई 15 फीट यानि 25605 वर्ग फीट अर्थात रकबा 0.2378 है. एवं ख.नं. 12 में लम्बाई 1196 फीट व चौडाई 15 फीट यानि 17940 वर्ग फीट अर्थात रकबा 0.1666 है. भूमि की नवीनतम डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अप्रार्थी सरकार को किये जाने पर नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते का पृथक से खसरा नं. अंकित किया जावे। रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। **निर्णय की एक प्रति शीघ्र जिला कलक्टर महोदय झालावाड को निःशुल्क जारी हो।**

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/5/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner